

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 08/2013

अनवान :-

1. कलावती बेवा मनफूल कौम जाट निवासी मिर्जावाली मेर त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

अपीलांत

बनाम्

1. ग्राम पंचायत डबली कला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डबली कला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सुमन बेवा जगदीश कौम जाट निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. शमाईल पुत्री स्व० जगदीश कौम जाट नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुमन बेवा जगदीश कौम जाट निवासी मिर्जावाली मेर त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

रेस्पोंडेन्ट्स

प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 75 लैण्डरैवेन्यू एक्ट



उपस्थिति :- श्री एसजोईया अपीलांत  
श्री सीएल सीडाना रेस्पोंडेन्ट

दिनांक: 22/8/15

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि चक 12 एजी प०न० 203/374 किला न० 9 ता 14 कुल 1.518 है० आराजी में अपीलांत के पुत्र जगदीश का 1/6 हिस्सा का हक व हिस्सा था। अपीलांटा के पुत्र जगदीश के फौत होने के बाद ग्राम पंचायत डबली कला द्वारा दफा हाजा में वर्णित आराजी का विरास्तन इतकाल न. 218 दिनांक 22.8.13 को रेस्पोंडेन्टान संख्या 2 व 3 के पक्ष में तस्दीक कर दिया जो कि निम्न आधारों पर काबिल खारिजी के है। ग्राम पंचायत डबली कला द्वारा स्वीकृत किया गया इतकाल न. 218 दिनांक 22.8.13 कतई गलत विधि विरुद्ध व रुहेदाद मिसल के है जो कि काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन इतकाल स्वीकृत किए जाने से पूर्व अपीलांटा को कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलाधीन इतकाल एकतरफा तौर पर पारित किया गया है, जो इसी आधार पर काबिल खारिजी के है। अपीलांटा के पुत्र जगदीश के फौत होने के बाद उसके नाम से अंकित आराजी में अपीलांटा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण रेस्पोंडेन्टान संख्या 2 व 3 के साथ बहिब की हकदार थी इसलिए अपीलाधीन इतकाल अपीलांटा व रेस्पोंडेन्टान संख्या 2 व 3 के पक्ष में ब. हि. ब. स्वीकृत किया जाना चाहिए था, इसके बावजूद भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अपीलाधीन इतकाल रेस्पोंडेन्टान संख्या 2 व 3 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जो कि विधि विरुद्ध है। अतः इसी आधार पर अपीलाधीन इतकाल खारिज किया जाने योग्य है। अपीलाधीन इतकाल विधि के विरुद्ध स्वीकृत किया गया है जो काबिल





अभिरक्षा में हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या - 150 व अंतिम परिणाम चार्जशीट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां संलग्न लिखित अपील हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-25 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अथवा स्त्री किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या कर देता है अथवा दुष्प्रेरण करता है अथवा किसी भी प्रकार से चोट पहुँचाता है, जिससे कि उसके हक की कृषि भूमि उसे प्राप्त हो जावे तो ऐसे व्यक्ति अथवा स्त्री को मृतक व्यक्ति अथवा स्त्री की कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं हो सकती, इस सम्बन्ध में माननीय आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत ए.आई.आर. 1970, पेज - 407 एवं माननीय बम्बई उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत बअनवानी पवन जैन बनाम विशाल, सुभाष, आदि निर्णय दिनांक 02.07.2024 की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति, जिसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 बी के अर्थ में दहेज हत्या का कारण बनाया है, वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत दहेज हत्या की शीकार महिला की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिए अयोग्य हो जाता है एवं यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि हत्या करने वाला या हत्या के लिए उकसाने वाला व्यक्ति मारे गये व्यक्ति की सम्पत्ति को विरासतन में पाने से अयोग्य होगा। दोनों न्यायदृष्टांत की छायाप्रतियां संलग्न हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया एवं सत्यपाल गोदारा मृतक जगदीश की कोई भी कृषि भूमि अथवा अन्य अचल सम्पत्ति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन कि अपील अपीलार्थीया सव्यय निरस्त फरमायी जावे।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील अपीलाट के निर्णय से पूर्व सीपीसी में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मियाद बिन्दु का निर्धारण किया जाना न्यायालय के अभिमत में एक आवश्यक बिन्दु है। हस्तगत अपील अपीलाट ने नामान्तरण सं० 218 दिनांक 22.08.2013 निरस्ती हेतु प्रस्तुत की हैं। अपीलाट ने उक्त अपील दिनांक 03.10.2013 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। अधिवक्ता अपीलाट के बहस में मियाद बिन्दु पर निवेदन व अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के अवलोकन के बाद न्यायहित में अपील अपीलाट अन्दर मियाद मानकर उक्त अपील को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना आवश्यक समझते हैं। अपीलाट कलावती बेवा मनफुल ने अपने पुत्र जगदीश पुत्र मनफुल के फौत होने पर जगदीश की माता अपीलाट को छोड़कर उसके वारिसान रेस्पोंडेण्टस सं० 2 व 3 के पक्ष में तस्दीक विरासतन नामान्तरण सं० 218 दिनांक 22.08.2013 को निरस्त करवाने हेतु उक्त अपील प्रस्तुत की है। न्यायालय के अभिमत में किसी निर्वसीयती खातेदार की मृत्यु होने पर उसकी भूमि उसके समस्त विधिक वारिसान के नाम दर्ज होनी चाहिए परन्तु पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार मृतक खातेदार जगदीश का विरासतन नामान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 में वर्णित अभिधारियों का उत्तराधिकार-“कोई अभिधारी निर्वसीयत मर जाये तो उसकी जोत में का उसका हित स्वीय विधि के अनुसार जिसके वह अपनी मृत्यु के समय अध्यक्षीन था न्यागत होगा” एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम वर्णित प्रावधानों के

अनुसार तस्दीक होना प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली में वर्णित धारा 25 के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाट के विरुद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 156 दिनांक 07.11.2013 का निस्तारण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट टिब्बी द्वारा दिनांक 18.10.2016 को साक्ष्य सबूतों एवं गवाहन के अभाव में तथा पुलिस की एफ.आर. के आधार पर खारीज की जा चुकी है।

एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 150 दिनांक 08.07.2024 का संबंध पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से अपीलांट से नहीं होना जाहिर है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के संबंध में यह है कि धारा 25 के प्रावधान तभी लागू होते जब सक्षम न्यायालय द्वारा अपीलांट को मृतक खातेदार की हत्या के लिए दोषी घोषित कर दिया हो। परन्तु पत्रावली में रेस्पोंडेण्ट्स द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि धारा 25 के प्रावधानों से सुसंगत होकर अपीलांट पर लागू होता हो। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार टिब्बी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे नामान्तरण सं० 218 दिनांक 22.08.2013 को अपास्त कर हस्तगत प्रकरण में मृतक खातेदार जगदीश के समस्त विधिक वारिसानों की जांच करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत पुनः विधि अनुसार नामान्तरण तस्दीक की कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 22/8/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सत्यनारायण)  
उपखण्ड अधिकारी

R.A.S.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

NOTE (संगोपन)

26/8/25

- उक्त आदेश दिनांक 22/8/25 में  
रेस्पोंडेण्ट 01 डी व निर्णय में वर्णित  
ग्राम पंचायत डबलीडा डी ग्राम  
पंचायत मिजावाली में र पत्रावली में

उपखण्ड अधिकारी  
टिब्बी (हनुमानगढ़)